

मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झांसी

प्रकीर्ण वाद संख्या-17/2020 (एम.ए.सी.पी.सं. 271/2017)

श्रीमती गीता देवी बनाम जहीर खान आदि

16.06.2020

प्रार्थिनी श्रीमती गीता देवी ने एम.ए.सी.पी.सं. 271/2017 श्रीमती गीता देवी बनाम जहीर खान व एक अन्य में पारित एवार्ड मुब. 44,063/- मय 7 प्रतिशत साधारण ब्याज को वापस प्राप्त करने के लिये यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थनापत्र के साथ शपथपत्र 4 सी2 प्रस्तुत किया गया है, जिसमें यह कथन किया गया है कि माननीय न्यायाधिकरण के निर्णय के विरुद्ध किसी भी पक्षकार ने कोई अपील माननीय उच्च - न्यायालय, इलाहाबाद में दायर नहीं की है न ही माननीय उच्च न्यायालय से कोई स्थगन आदेश पारित हुआ है। प्रार्थनापत्र के साथ एम.ए.सी.पी. सं. 271/2017 की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की गयी है, जिसके अनुसार 44,063/-मय ब्याज का एवार्ड पारित किया गया है। कार्यालय की चैक पंजिका के अनुसार क्रमांक सं. 17 पर एवार्ड धनराशि मय ब्याज 51,609/- न्यायाधिकरण के पंजाब नेशनल बैंक के खाते में जमा है। एम.ए.सी.पी. सं.- 271/2017 के निर्णय के अनुसार समस्त राशि याची को प्रदान की जानी है। प्रार्थिनी श्रीमती गीता देवी वर्चुअल न्यायालय के समक्ष उपस्थित आयी। जिला न्यायालय की वेब साइट पर एम.ए.सी.पी. सं. 271/2017 का निर्णय उपलब्ध है, जो सत्यापित प्रति के समान है। श्रीमती गीता देवी ने अपना खाता सं. 80014816993 मध्यांचल ग्रामीण बैंक नौरा, निवाड़ी में होना बताया है तथा पास बुक की छाया प्रति भी पत्रावली पर दाखिल की है। मेरे विचार से प्रार्थिनी श्रीमती गीता देवी उक्त धनराशि मय अब तक के समस्त ब्याज को पाने की अधिकारिणी है।

आदेश

पंजाब नेशनल बैंक, शाखा झोकनबाग, झांसी को आदेशित किया जाता है कि वह एम.ए.सी.पी. सं. 271/2017 श्रीमती गीता देवी बनाम जहीर खान व एक अन्य के प्रकरण में जमा धनराशि 51,609/- (इन्क्यावन हजार छै: सौ नौ) मय अब तक के अर्जित ब्याज को श्रीमती गीता देवी के खाता सं. 80014816993 मध्यांचल ग्रामीण बैंक नौरा, निवाड़ी में आर.टी.जी.एस./नेफ्ट के जरिये अविलम्ब स्थानान्तरित करें तथा अनुपालन आख्या तीन दिन के अन्दर न्यायालय को प्रेषित की जाय। 3B प्रार्थनापत्र तदनुसार निस्तारित।

पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(चंद्रोदय कुमार)

पी.ओ., एम.ए.सी.टी., झांसी।